UPMB010023612022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) महोबा।

पीठासीन अधिकारीः–संतोष कुमार यादव, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06397

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1141/2022

पप्पू अहिरवार उम्र 26 वर्ष पुत्र श्री मूलचन्द्र निवासी ग्राम–बीला उत्तर, थाना–कबरई, जिला–महोबा। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उ0प्र0 .....विरूद्ध पक्ष।

विशेष वाद संख्या–96/2019
मु0अ0सं0–171/2019
अन्तर्गत धारा–363, 366, 376(3), 109, भा0दं0सं0
व धारा–4/17 पॉक्सो एक्ट,
थाना–कबरई, जिला महोबा

11.10.2022

यह जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त पप्पू अहिरवार की ओर से विशेष वाद संख्या–96/2019 मु0अ0सं0–171/2019, अन्तर्गत धारा–363, 366, 376(3), 109 भा0दं0सं0 व धारा–4/17 पॉक्सो एक्ट थाना–कबरई, जिला महोबा में जमानत हेतु मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि वह पूर्ण रूप से निर्दोष है। उसको झूंठा व रंजिशन फंसाया गया है। वह पहले से जमानत पर रहा है तथा उसके द्वारा जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी एक गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है और बसिलसिले मजदूरी गांव से बाहर दिल्ली चला गया था तथा बीमार हो जाने के कारण इलाज कराने तथा मालिक द्वारा मजदूरी का भुगतान न देने के कारण नियत तिथियों पर हाजिर अदालत नहीं आ सका तथा उसकी गैर हाजिरी में न्यायालय द्वारा एन0बी0डब्लू0 का आदेश पारित कर दिया। उसने न्यायालय आने में जानबूझकर कोई गलती नहीं की है बल्कि जो गलती हुयी है वह मजदूरी हेतु बाहर चले जाने व बीमार होने व दिल्ली में मजदूरी करने तथा मालिक द्वारा मजदूरी का भुगतान न देने के कारण हुयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.09.2022 से जेल में निरूद्ध है। उसने न्यायालय के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं किया है और न ही जमानत का कोई दुरूपयोग किया है और न ही प्रार्थी ने हाजिर अदालत आने में जानबूझकर कोई गलती की है, न ही भविष्य में करेगा। प्रार्थी अब नियत तिथियों पर नियमित रूप से हाजिर अदालत आता रहेगा, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करेगा। प्रार्थी का न्यायालय

Digitally signed by Santosh Kumar Yadav
Date: 2022.10.11 17:03:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में वारण्ट हो जाने के बाद यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र अन्य किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न दिया गया है और न ही विचाराधीन है। अतः उसको दौरान मुकदमा जमानत/मुचलका पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक, (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पप्पू अहिरवार के दिनांक 18.08.2021 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2021 को अभियुक्त पप्पू अहिरवार के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 जारी किया गया था। अभियुक्त पप्पू अहिरवार द्वारा दिनांक 27.09.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एन0बी0डब्लू0 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी किन्तु न्यायालय द्वारा अभियुक्त के उपरोक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुये अभियुक्त पप्पू अहिरवार को जिला उपकारागार भेजा गया है। अभियुक्त दिनांक 27.09.2022 से जिला उपकारागार महोबा में निरूद्ध है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर रहा है। अभियुक्त द्वारा दिल्ली में मजदूरी करने जाने तथा वहॉ पर बीमार हो जाने के कारण न्यायालय में नियत तिथियों पर उपस्थित नहीं आने का कथन किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जानबूझकर गलती नहीं किये जाने का भी कथन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर रहा है।

अतः मामले के तथ्य एवम् परिस्थितियों तथा उसकी प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त पप्पू अहिरवार की जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/आवेदक पप्पू अहिरवार का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त/आवेदक पप्पू अहिरवार के द्वारा मुब0 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) की दो जमानतें तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाता है कि वह–

1– प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा,

2– जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा,

3– न्यायालय के आदेश का पालन करेगा।

उक्त जमानतदारों में से कम से कम एक जमानतदार अभियुक्त पप्पू अहिरवार के परिवार का सदस्य/रिश्तेदार होना चाहिए।

दिनांकः 11.10.2022

(संतोष कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(पॉक्सो अधिनियम), महोबा।